# झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
## JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

## प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण (सेवाकालीन सहित) परीक्षा,2011 के लिये पंजीयन संबंधी सूचना

### विज्ञप्ति संख्या - 41/2011

एतद् द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त एवं राजकीय/अराजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या, प्रशिक्षुओं एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण(सेवाकालीन सहित) परीक्षा, 2011 के लिये पंजीयन कराने हेतु निम्नवत् कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

(क) सादा पंजीयन आवेदन पत्र वितरण की तिथि: 04.05.2011 से 07.05.2011 को संध्या 5:00 बजे तक।

(ख) भरे हुए पंजीयन आवेदन एवं शुल्कादि परिषद् कार्यालय, राँची में बिना विलम्ब शुल्क के जमा करने की तिथि: 18.05.2011 से 21.05.2011 को संध्या 5:00 बजे तक।

(ग) भरे हुए पंजीयन आवेदन एवं शुल्कादि परिषद् कार्यालय, राँची में विलम्ब शुल्क के साथ जमा करने की तिथि: 23.05.2011 से 25.05.2011 को संध्या 5:00 बजे तक।

2. **<u>शुल्कादि का विवरण</u>**

| | |
|---|---|
| 1. पंजीयन शुल्क | : 250.00 |
| 2. पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क | : 80.00 |
| 3. पंजीयन विलम्ब शुल्क | : 200.00 |
| 4. आव्रजन शुल्क | : 100.00 |

3. सत्र 2007-09 एवं 2008-10 के वैसे महाविद्यालय, जिनका शिक्षा सत्र समाप्त हो चुका है, के नियमित प्रशिक्षु पंजीयन आवेदन संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से जमा कर सकते है। साथ ही जिनका शिक्षा सत्र और आन्तरिक मूल्यांकन का कार्य जून 2011 तक समाप्त हो जायेगा, वैसे महाविद्यालय/संस्थान के नियमित प्रशिक्षु भी पंजीयन आवेदन पत्र संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के माध्यम से जमा कर सकते है। महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य को आवेदन के साथ निम्न कागजात/साक्ष्य जमा करना होगा:-
   (क) एन.सी.टी.ई. द्वारा दी गई प्रस्वीकृति संबंधी पत्र की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छाया प्रति।
   (ख) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी आदेश की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छाया प्रति।
   (ग) पाठ्यक्रम एवं सत्र पूरा होने संबंधी घोषणा पत्र।
4. एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षु, जिनका प्रतिनियोजन सक्षम पदाधिकारी के द्वारा राजकीय आदेश के तहत विधिवत् रूप से किया गया है, और जिनका सत्र पूर्ण और आन्तरिक मूल्यांकन हो चुका है, अपना पंजीयन संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से करा सकते हैं। संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य ऐसे शिक्षक प्रशिक्षु के पंजीयन आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से प्रति हस्ताक्षरित कराकर निम्नांकित कागजात के साथ परिषद् में जमा करेंगे:-
   (क) एन.सी.टी.ई. द्वारा दी गई प्रस्वीकृति संबंधी पत्र की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छाया प्रति।
   (ख) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी आदेश की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छाया प्रति।
   (ग) पाठ्यक्रम एवं सत्र पूरा होने संबंधी घोषणा पत्र।
   (घ) राजकीय आदेश की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छाया प्रति, जिसके तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया हो।
   (च) प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश की सत्यापित छाया प्रति।

उल्लेखित कागजात के अभाव में तथा निर्धारित तिथि के बाद पंजीयन आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**नोटः-** एन.सी.टी.ई. द्वारा संबंधित महाविद्यालय/संस्था के लिये स्वीकृत सीट के अन्तर्गत ही नियमित प्रशिक्षुओं का पंजीयन किया जा सकेगा।

**अध्यक्ष के आदेशानुसार,**
**ह./-**
**( यमुना गिरि )**
**सचिव,**
**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।**

JAC/शि.प्र.प./5053/10/SECY/175/11
Dt. 27.04.11
D.O.P : 28.04.11